

**महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय**

**(स्वशासी संस्था) इन्दौर**

क्रमांक 3023 /स्था./स्व./2021


इन्दौर, दिनांक 01/03/2021

// कार्यालय आदेश //

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के परीक्षण हेतु गठित समिति की अनुशंसानुसार म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29.09.2014 एवं संचालनालय के पत्र क्रमांक 319-25 दिनांक 30.05.2017 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा में रहते हुये निधन होने पर निम्नानुसार अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन अनुसार उनके आश्रितों को कार्य पर उपस्थित होने की दिनांक से अन्य आदेश होने तक शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों में स्वशासी संस्था में स्वशासी के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों पर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी संस्था में प्रदान की जाती है :-


स. क्र.	आवेदक का नाम व मृतक कर्मचारी का नाम	श्रेणी	पद का नाम	वेतनमान	संस्था का नाम
1	श्रीमती दीपमाला कलौंसिया, पति स्व. रवि कलौंसिया	अजा	वार्ड सर्वेन्ट	4440-7440-1300 (छठवा वेतनमान) 15500-49000 (सातवा वेतनमान)	म.य.चिकित्सालय, इन्दौर
2	अंकित मालवीय पिता स्व. संतोष रामचंद्र मालवीय	अपिव	वार्ड सर्वेन्ट	4440-7440-1300 (छठवा वेतनमान) 15500-49000 (सातवा वेतनमान)	म.य.चिकित्सालय, इन्दौर
3	श्री सचिन पानसे पिता स्व. श्री विनोद पानसे	अनारक्षित	वार्डर	4440-7440-1300 (छठवा वेतनमान) 15500-49000 (सातवा वेतनमान)	मानसिक चिकित्सालय
4	अनुसुईया सोनी पति स्व. राजेन्द्र सोनी	अपिव	वार्डर	4440-7440-1300 (छठवा वेतनमान) 15500-49000 (सातवा वेतनमान)	मानसिक चिकित्सालय
5	श्री खुशाल सिंह वर्मा पिता स्व. राजेश कुमार वर्मा	अजजा	वार्ड सर्वेन्ट	4440-7440-1300 (छठवा वेतनमान) 15500-49000 (सातवा वेतनमान)	म.य.चिकित्सालय, इन्दौर
6	श्री अजीज खान पत्नी स्व. शमीम शेख	अनारक्षित	वार्ड सर्वेन्ट	4440-7440-1300 (छठवा वेतनमान) 15500-49000 (सातवा वेतनमान)	म.य.चिकित्सालय, इन्दौर
7	श्री जाकिर खान पिता स्व. मो. जाफर खान	अनारक्षित	वार्ड सर्वेन्ट	4440-7440-1300 (छठवा वेतनमान) 15500-49000 (सातवा वेतनमान)	म.य.चिकित्सालय, इन्दौर

- म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ-9/3/2005/ नियम/चार, दिनांक 02.04.05 के अनुसार उपरोक्त नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ-5/1/2005/नियम /चार दिनांक 02.04.05 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
- नियुक्ति के पूर्व मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण नियमानुसार करवाया जावेगा एवं नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरीफिकेशन व चिकित्सीय परीक्षण) नियमानुसार करवाया जावेगा। नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि नियुक्त कर्मचारी सेवा में रखे जाने के योग्य नहीं है तो दी गई अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्त नियुक्त उम्मीदवार की सेवाएँ किसी भी समय एक माह की अग्रिम सूचना अथवा सूचना के बदले एक माह में मिलने वाले वेतन तथा भत्तों इत्यादी की राशि देकर समाप्त की जा सकती है। यही शर्त उम्मीदवार द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने पर लागू होगी।
- म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी 3 -13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टापपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- इन्हे नियुक्ति के पूर्व एक वचन पत्र देना अनिवार्य है कि यह दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेंगे/करेंगी तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए की इनके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो इनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
- म.प्र.शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12-5/2007/चार दिनांक 19.04.2007 के तहत परिवार पेंशन पर राहत देय नहीं होगी।
- अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश दिनांक 29.09.2014 के नियम 7 के उपनियम 7.9 अनुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
 म.प्र.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय, एवं संबद्ध चिकित्सालय,  
 स्वशासी संस्था, इन्दौर  
 01/03/2021 इन्दौर, दिनांक 01.03.2021

3024-29  
 पृ. क्रमांक /स्था./स्व./2021  
 प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- संभागायुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर।
- सभागीय पेंशन कार्यालय इन्दौर संभाग इन्दौर।
- सिविल सर्जन गोविन्द वल्लभपंत मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय धार रोड इन्दौर।
- लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक/भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये बिन्दु क्रमांक "ब" के अनुसार वेतन आहरण की प्रक्रिया अपनाई जावे।
- संबंधितों की ओर भेजकर लेख है कि आप कार्य पर उपस्थित होते समय जन्म तिथि प्रमाणपत्र/अन्य वांछित प्रमाणपत्र तथा दो कोरी सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करें।

  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
 म.प्र.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय, एवं संबद्ध चिकित्सालय,  
 स्वशासी संस्था, इन्दौर  
 01/03/2021